APP-A
Orim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम राहुल मालसरिया S/o सुरेन्द्र मालसरिया

किस्म मुकदमा FSSA Act 2006 नं. 19 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव सपठित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं	
28/6/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप.। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 26/7/22 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं	
26/7/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप.। अप्रार्थी संस्थान ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। पत्रावली [illegible]। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक [illegible]/22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.05 12:01:42 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/22	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसने राजकलां काम्पलेक्स के पास, कोर्ट रोड़ चिड़ावा में मै0 मालसरिया रेस्टोरेन्ट, के नाम से मिठाई की दुकान कर रखी है। जहां वह जलेबी तैयार कर बेचता है। अनावेदक जलेबी बनाने के लिए वनस्पती घी बाजार से खरीदता है, तथा इस घी में अपने स्तर पर कोई मिलावट नही करता है। वर्तमान में अनावेदक ने सैम्पल लेने के समय इस्तेमाल होने वाले घी के स्थान पर शुद्ध घी को काम में लेना शुरू कर दिया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./289/एक्ट/2022/316 दिनांक 04.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ जलेबी (वनस्पति से निर्मित) सबस्टैण्डर्ड (Sub standard as the extracted fat does not conform to the standards of vanaspati) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपने रेस्टोरेन्ट मै0 मालसरिया रेस्टोरेन्ट पर जलेबी (वनस्पति से निर्मित) स्वयं तैयार कर बेचान करता है तथा रेस्टोरेन्ट मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ जलेबी (वनस्पति से निर्मित) के सबस्टैण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री राहुल मालसरिया पुत्र श्री सुरेन्द्र मानसरिया, मै0 मालसरिया रेस्टोरेन्ट, राजकलां काम्पलेक्स के पास, कोर्ट रोड़ चिड़ावा, निवासी पुरानी बस्ती, श्याम मन्दिर के पास, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक ~~संख्या 2~~ को 5000/- पांच हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.08.05 12:01:42 IST Reason: SelfAttested	